

पुलिस विभाग जिला-अजमेर  
॥ प्रेस नोट दिनांक 11.08.2017 ॥

# वाहन चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना किश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा चोरी की वारदातों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान अभियुक्तगण सुनिल उर्फ दीपक उर्फ भुत पुत्र रामकरण जाति मेघवंशी 19 साल निवासी तेजा चौक बालुपुरा आदर्शनगर अजमेर 2 अमित कुमार पुत्र अवध किशोर जाति यादव उम्र 19 साल नि. गणेशपुरा थाना आदर्शनगर अजमेर को वाहन चोरी करने पर केन्द्रीय कारागृह अजमेर से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 7.8.17 को परिवादी सलामुदीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी प्लसर मोटरसाईकिल जी ब्लॉक फस्ट स्टेप स्कूल वाली गली वैशाली नगर अजमेर से अज्ञात मुल्जिमान चोरी कर ले गये।

## गिरफ्तारी वारन्ट में एक वारन्टी

### गिरफ्तार



पुलिस थाना सिविल लाईन में सूर्य कुमार पुत्र भवर लाल निवासी चन्द्रवरदायी नगर अजमेर को एस आई श्योजी राम कानि धनराज ने गिरफ्तारी वारन्ट में जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

## स्थाई वारण्टी में एक आरोपी

### गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में स्थाई वारण्टी पुष्पेन्द्र शर्मा पुत्र ललित मोहन शर्मा निवासी आर के पुरम कॉलोनी भजनगंज अजमेर को कोर्ट केश नम्बर 271/2007 एमएस वर्धमान माईक बनाम पुष्पेन्द्र शर्मा धारा 138 एनआई एक्टकोर्ट केश नम्बर 1768/2007 जितेन्द्र बनाम पुष्पेन्द्र शर्मा धारा 138 एनआई एक्ट गिरफ्तार किया गया

# स्थायी वारण्टी में दम्पति गिरफ्तार



पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफ्तारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मन थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे किशनदत्त हैड कानि0 75 मय प्रहलाद सिंह, फूल सिंह व महिला अभिवन्दना द्वारा आज दिनांक 11.08.17

को स्थायी वारण्टी गोकुल पुत्र नानक राम जाति कोली उम्र 62 साल निवासी सतगुरु कॉलोनी अजयनगर थाना रामगंज अजमेर व श्रीमति ग्यारसी पत्नी गोकुल जाति कोली उम्र 62 साल निवासी सतगुरु कॉलोनी अजयनगर थाना रामगंज अजमेर को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 01 अजमेर से जारी स्थायी वारण्ट मे गिरफ्तार किया गया ।

## धोखाधडी का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना ब्यावर शहर के प्रकरण संख्या 131 17 13217 149 17 198 17 धारा 420 120बी में आरोपी कैलाश पुत्र नेमी चंद प्रजार्पति जाति प्रजार्पति उम्र 42 साल निवासी कॉलेज लिंक रोड ब्यावर सूरत गुजरात से दिनांक 08.08.2017 को थाना से रवाना होकर सुनील कुमार सुरद्र सिंह देशराज रवाना होकर दस्तयाब कर कर लेकर आए जिसे भारत पूछताछ कि जा कर थाना प्रकरण संख्या 131/17 धारा 420 120 बी म गिरफ्तार कियासर आरोपी भारतीय ब्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी नाम को संस्था चलाता था उसको

शाखा किशनगढ़ और ब्यावर म भी संचालित थी जिसका मैनेजर भेरुलाल वमा है जो भी प्रकरणां म वांछित है सातवां वेंतन आयोग 01 2016 से लागु करने,राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के पें ग्रेड में की जा रही कटौती व वर्ष 2017 की वेंतन वृद्धि रोके जाने के विरोध



अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त महासंघ जिला अजमेर:—उक्त महासंघ द्वारा अपनी मांग सातवां वेंतन आयोग 01 2016 से लागु करने,राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के पें ग्रेड में की जा रही कटौती व वर्ष 2017 की वेंतन वृद्धि रोके जाने के विरोध सहित 15 सूत्रीय मांगो को लेकर प्रांतीय आह्वान पर उक्त महासंघ द्वारा श्री बदी प्रसाद शर्मा अध्यक्ष के

नेतृत्व में लगभग 150–200 कर्मचारियों द्वारा आज दिनांक 11.08.2017 को समय 1.00 से 3.00 बजे तक जिला कलक्टर कार्यालय के समक्ष नारे बाजी/विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया गया तत्पश्चात समय 3.35 बजे जेल भरो आन्दोलन के तहत धारा 129 सी आर पी सी के अन्तर्गत मुख्यतः श्री आयुदान सिंह कविया अखिल राज0 राजय संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष ,ज्ञानेन्द्र सिंह अध्यक्ष कानुनगों ,श्री विष्णुसिंह शिक्षक संघ श्री विशाल वैष्णव राज ग्राम सेवक संघ के सहित 77 कर्मचारियों ने गिरफ्तारिया दी जिन्हे जिला मुख्यालय से बसो द्वारा ले जाया जाकर शास्त्री नगर पुलिस चौकी के पास ले जाकर रिहा किया गया।

राज लेब टेक्नीशियन कर्मचारियां अपनी मांगों को लेकर तीन दिवसीय बांहो पर काला पट्टा बांधकर काय किया जा रहा है ए तथा मांगे नहीं माने जाने पर प्रतिदिन 2 घण्टे का काय बहिष्कार करगे



**देवस्थान विभाग को जमीन से**  
**अतिक्रमण हटाने व चिन्हित करने की मांग**  
**को लेकर**



पुलिस थाना गाधीनगर इलाके में देवस्थान विभाग को जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिये नायब तहसीलदार गिरदावर पटवारो व परशासन के दल दुवारा अतिक्रमण स्थान को चिन्हित करने का कायवाहो जारो है ।